

20-10-19

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषण उमय पक्ष
उपरिथत है। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
महोदय राज्य कार्य से बाहर पधारि है अवकाश
पर है। अतः साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक
१-१-२० को पेश हो।

४-१-२०

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषण उमय पक्ष
उपरिथत है। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
महोदय राज्य कार्य से बाहर पधारि है अवकाश
पर है। अतः साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक
५-३-२० को पेश हो।

५/३/२०

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व
प्रति. अनुपस्थित है। वादी व वकील
वादी एवं प्रति. व प्रति. वकील को
न्याया. समक्ष तक रुक-रुक कर तीन
बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद
रूपना अनुपस्थित रहने से वाद
वादी व मा. ग्लेन प्रति. अदम
हाजिरी अदम पुरनी में खारिज किया
जाता है। पत्रा. फैजल शुमार होकर
बाद तकमील दाखिल दफतर हो।